प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)</u>

कोरम : माननीय श्री टी.पी.शर्मा और

माननीय श्री आर.एल.झंवर, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 298/2001

रामफल और अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय विचारणार्थ -

सही/-

श्री टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर</u> -

सहमत -

सही/-

श्री आर.एल. झंवर

मुख्य न्यायधीश

आदेश के लिए सूचीबद्ध हेतु दिनांक 17/02/2010

सही/-

श्री टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

17/02/2010

उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

कोरम : माननीय श्री टी.पी.शर्मा और

माननीय श्री आर.एल.झंवर, न्यायमूर्तिगण

अपीलार्थीगण (जेल में) : 1. रामफल पिता दसरू राजवार, उम्र लगभग 45 साल, पेशा - किसान। (मृत और विलोपित)

2. रामधन पिता दवारू राजवार, उम्र लगभग 40 साल, पेशा - किसान।

3. नेहर साय पिता दसरू राजवार, उम्र लगभग 58 साल।

4. जय सिंह पिता नेहर साय राजवार, उम्र लगभग 30 साल, पेशा - किसान।

5. अमर सिंह पिता नेहर साय राजवार, उम्र लगभग 30 साल, पेशा - किसान।

6. मनबहाल उर्फ रंगल पिता रामफल, उम्र लगभग 30 साल, पेशा - किसान।

सभी निवासी गांव रगड़ा, पुलिस स्टेशन - चिरमली, तहसील सूरजपुर, जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील

उपस्थित :

श्रीमती अंजू आहूजा,अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता।

श्री राकेश कुमार झा, राज्य के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक

निर्णय

(आदेश पारित17 फरवरी, 2010)

न्यायमूर्ति श्री टी.पी.शर्मा, द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

1. इस अपील में अपर सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर, सत्र प्रभाग, सरगुजा द्वारा सत्र विचारण सं. 163/98 में दिनांक27.2.2001 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को विधि विरुद्ध जमाव के गठन और उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में, अटकराम की हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध कारित करने के लिए दोषी ठहराते हुए उन्हे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 147 के तहत सिद्धदोष् किया और उन्हें आजीवन कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई गई और जुर्माना अदा न करने की दशा में पांच महीने और एक साल का कठोर कारावास का सजा भुगतने का आदेय दिया गया। अपील के विचाराधीन रहने के दौरान, अपीलार्थी सं. 1 रामफल की मौत हो गई और उसका नाम विलोपित कर दिया गया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. इस निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि हत्या के कोई भी साक्ष्य न होने पर भी, अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया और सज़ा सुनाई, और इस तरह उन्होंने अवैधता को कारित किया है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 04.06.1995 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन सुबह लगभग 8 बजे ग्राम रगदा, जिला अंबिकापुर में मृतक अटक राम अपनी भैंसों के साथ नहर (नाला) पर गया था, मृतक से दुश्मनी रखने वाले अपीलार्थियों ने विधि वि्रूद्ध जमाव गठित किया और उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वे नाले पर गए, उन्होंने मृतक का पीछा किया और उस पर लाठियों से हमला किया, मृतक अटक राम गिर गया। रामसाय मृतक को आगे के इलाज के लिए अस्पताल ले गया। घायल की सबसे पहले डॉ. एस.पी. पैकरा (अ.सा.-11) द्वारा प्रदर्श पी/17ए के माध्यम से जांच की गई और उपरोक्त

बाह्य चोटें पाई गईं। उसे प्रदर्श पी/28 के माध्यम से जिला अस्पताल, अंबिकापुर रेफर किया गया। उसकी मृत्यु हो गई। फिर से मृतक का शव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भैयाथान लाया गया, प्रदर्श पी/17। डॉ. एस.पी. पैकरा (अ.सा.-11) ने प्रदर्श पी/29 के द्वारा मृत्यु को प्रमाणित किया। रामसाय झिलमिली पुलिस स्टेशन गए और प्रदर्श पी/15 के द्वारा मर्ग सूचना दर्ज की। प्रदर्श पी/26 के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच अधिकारी घटनास्थल पर गए और प्रदर्श पी/16 के द्वारा गवाहों को समन करने के बाद, प्रदर्श पी/14 के द्वारा मृतक के शरीर की जांच तैयार की। डॉ. एस.पी. पैकरा (अ.सा.-11) ने प्रदर्श पी/17ए के द्वारा शव परीक्षण की और और निम्नलिखित लक्षण और चोटें पाईं :-

i) नाक से खून बह रहा था

ii) छाती, दाहिने अंसफलक क्षेत्र और कमर पर 10" x 7" के कई खरोंच

iii) दाहिने पैर के 7" x 4" क्षेत्र पर कई खरोंचें

iv) दाहिनी 5वीं पसली में फ्रैक्चर, दाहिनी 9वीं और 10वीं पसली में कई फ्रैक्चर,

दाहिना फेफड़ा और दाहिना ह्रदय कक्ष और दाहिना लिवर फट गया था। अंदरूनी रक्तगुल्म पाया गया और दाहिने बहिर्जंघिका का फ्रैक्चर पाया गया मौत का कारण अंदरूनी चोट की वजह से आघात था। चोटें मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। घटनास्थल पटवारी ने प्रदर्श पी/18 के द्वारा से तैयार किया था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. जांच के दौरान अपीलार्थियों को हिरासत में ले लिया गया। अपीलार्थी अमर सिंह ने प्रदर्श पी/1 के द्वारा लाठी के बारे में प्रकटीकरण कथन किया, जो उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी/2 के तहत बरामद किया गया। अपीलार्थी मनबहाल उर्फ रंगल ने प्रदर्श पी/3 के द्वारा लाठी के बारे में प्रकटीकरण कथन किया, वही उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी/4 के तहत बरामद किया गया। अपीलार्थी जय सिंह ने प्रदर्श पी/5 के द्वारा लाठी के बारे में प्रकटीकरण कथन किया, वही उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी/6 के तहत बरामद किया गया। अपीलार्थी नाहर साईं ने प्रदर्श पी/7 के द्वारा लाठी के बारे में प्रकटीकरण कथन किया, वही उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी/8 के तहत बरामद किया गया। अपीलार्थी रामधन ने प्रदर्श पी/9 के द्वारा लाठी के बारे में प्रकटीकरण कथन किया, वही उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी/10 के तहत बरामद किया गया। अपीलार्थी रामफल ने प्रदर्श पी/11 के द्वारा से लाठी के बारे में खुलासा किया, वही प्रदर्श पी/12 के द्वारा से उसकी निशानदेही पर बरामद की गई, छड़ियों की जांच डॉ. एस.पी. पैकरा (अ.सा.--11) द्वारा प्रदर्श पी/25ए के माध्यम से की गई।

5. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'कोड' कहा जाएगा) के धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। जांच पूरी होने के बाद, सरगुजा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में

आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सरगुजा के सत्र न्यायालय को उपार्पित किया, जहां से अपर सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर को विचारण के लिए मामला अंतरण पर प्राप्त हुआ।

6. अभियुक्त/अपीलार्थियों का अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों का परिक्षण कराया। अभियुक्त/अपीलार्थियों के बयान भी संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितियों से इनकार किया और संबंधित अपराध में खुद को निर्दोष होने और झूठे आरोप में फसाएँ जाने की तथ्य कही।

7. पक्षकारो को सुनने का मौका देने के बाद, अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को पूर्वोक्त अनुसार सिद्धदोष किया और सज़ा सुनाई।

8. हमने अपीलार्थियों की अधिवक्ता श्रीमती अंजू आहूजा और राज्य सरकार के अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री राकेश कुमार झा को सुना है, और विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और अभिलेख को पढ़ा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया हैं कि यद्यपि दोषसिद्धि चक्षुदर्शियों साक्षियों रामसाय (अ.सा.-1), अम्मेलाल (अ.सा.-2) पिता करनसाय, शोभनाथ (अ.सा.-4), हिरमन बाई (अ.सा.-6), महेंद्र प्रसाद (अ.सा.-7), ठाकुर प्रसाद (अ.सा.-8) और अम्मेलाल (अ.सा.-9) पिता रामदीन राजवाड़े के साक्ष्य पर आधारित है और वे हितबद्ध और नातेदार साक्षी हैं लेकिन उनके साक्ष्य भरोसा नहीं जगाते और विश्वसनीय नहीं हैं। घटना सुबह लगभग 8 बजे नहर के पास हुई जहां अन्य व्यक्तियों और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति स्वाभाविक थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने वास्तविक कहानी को उजागर नहीं करने के लिए जानबूझकर स्वतंत्र गवाहों का परीक्षण नहीं कराया है।

उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य अपीलार्थियों द्वारा किए गए अपराध के संबंध में गंभीर संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन अपीलार्थियों को सिद्धदोष करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि सभी साक्षियों ने स्पष्ट और व्यापक बयान दिए हैं और यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सी चोट किसने कारित किया और किसने प्राण घातक चोंट कारित किया ।

10. विद्वान अधिवक्ता ने **सरमन और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[1] के मामले का अवलंब लिया हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया है कि यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी का उद्देश्य

मृतक को मारना था और उसे इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि दिए गए प्रहारों से मृत्यु कारित हो सकती है, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आरोपी की सजा संधारणीय नहीं है, बल्कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहतदोषसिद्धि किया जा सकता है।

11. विद्वान अधिवक्ता ने **सुखदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य2** के मामले का अवलंब लिया हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया है कि यदि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाता कि प्राण घातक चोट किसने पहुँचाई है, तो इस साक्ष्य के अभाव में कि चोट किसने पहुँचाई है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती। उनका कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भागII के अंतर्गत दंडनीय हो सकता है।

12. विद्वान अधिवक्ता ने **भैयालाल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य3** के मामले का भी अवलंब लिया हैं, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णीत किया था कि सिर पर लगी एकमात्र चोट, जो प्राण घातक थी, को देखते हुए, अपीलार्थियों की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है और उनका कृत्य पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी नहर के पास मौजूद थे। मृतक अकेला था, सभी छह अभियुक्त घटनास्थल पर पहुँचे, उन्होंने मृतक का पीछा किया और उसे प्राण प्राण घातक चोटें पहुँचाईं, जिनमें पैर की हड्डी टूटना, पसलियों के कई फ्रैक्चर, फेफड़े, हृदय और यकृत का फटना शामिल है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने क्रूरतापूर्वक चोटें पहुँचाईं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है कि उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और विधि विरुद्ध सभा के सामान्य उद्देश्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उन्होंने मृतक अटक राम की हत्या की है।

14. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को विवेचन के लिए, हमने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का परिक्षण किया है। वर्तमान मामले में, मृतक अटक राम की प्राण प्राण घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई हत्यात्मक मृत्यु के तथ्य को अपीलार्थियों द्वारा पर्याप्त रूप से चुनौती नहीं दी गई है, जबकि दूसरी ओर, एस.पी. पैकरा (अ.सा.-11) के साक्ष्य और शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी/28 से भी यह तथ्य सिद्ध होती है, जिससे प्रकट होता है कि तीन पसलियाँ टूटी हुई थीं, जिनमें दाहिने फेफड़े, दाहिने

हृदय और दाहिने यकृत के कई फ्रैक्चर शामिल हैं। दाहिने कंधे के हड्डी क्षेत्र और छाती पर कई चोट के निशान पाए गए, जिससे पता चलता है कि मृतक अटक राम को बार-बार चोटें कारित किये गए थे। पसलियों के कई फ्रैक्चर के परिणामस्वरूप तीन आंतरिक महत्वपूर्ण अंग, हृदय, फेफड़े और यकृत फट गए थे और चोटें मृत्युपूर्व थीं। मृत्यु उक्त चोटों के परिणामस्वरूप हुई और मानव वध की प्रकृति की थी।

15. जहां तक प्रश्नगत अपराध में अभियुक्तों/अपीलार्थियों की संलिप्तता का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष ने चक्षुदर्शी साक्षियों रामसाय (अ.सा.-1), अम्मेलाल (अ.सा.-2) पिता करनसाय, शोभनाथ (अ.सा.-4), हिरमन बाई (अ.सा.-6), महेंद्र प्रसाद (अ.सा.-7), ठाकुर प्रसाद (अ.सा.-8) और अम्मेलाल (अ.सा.-9) पिता रामदीन राजवाड़े, के प्रत्यक्ष साक्ष्य, अपीलार्थियों के निशानदेही पर हथियारों की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य और मौखिक मृत्युकालिक कथन प्रस्तुत किए हैं। रामसाय (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि 04.06.95 को लगभग 8 बजे रात को उसका भाई आकट राम (अब मृत) अपनी भैंसों को नहलाने के लिए तालाब पर गया था, उस समय अपीलार्थी रामफल, नाहरसाय, रामधन, जय सिंह, अमर सिंह और मनबहाल उर्फ रंगल वहां पहुंचे, उनके हाथों में लाठियां थीं, आकट राम ने उन लोगों को देखा और मौके से भागा, अपील करने वालों ने उसका पीछा किया और उसे घेर लिया और सभी अपीलार्थी ने उस पर लाठियों से हमला किया, आटक राम गिर गया। आटक राम पर हमला करने के बाद सभी अपीलार्थी मौके से भाग गए। उसके भाई ने मदद के लिए चिल्लाया, तब वह भी मौके पर गया और उसने भी चिल्लाया, तब अम्मेलाल, बेनी, शोभनाथ, ठाकुर प्रसाद, महेंद्र, लक्ष्मीबाई, मनियारो और हिरमेन मौके पर आए। अटक राम की हालत गंभीर थी, वे घायल अटक राम को लेकर भैयाथान थाने पहुंचे और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई, घायल को अस्पताल ले गए, प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन घायल की मौत हो गई, फिर भैयाथान अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अम्मेलाल (अ.सा.-2), पिता करनसाय, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 04.06.95 को प्रातः लगभग 8 बजे वह खेत से आ रहा था। जब वह नहर के पास से गुजर रहा था, तो उसने आवाज सुनी, उसने देखा कि सभी अपीलार्थी लाठी-डंडे लिए हुए थे और अटक राम का पीछा कर रहे थे। सबसे पहले मृतक अपीलार्थी रामफल ने मृतक अटक राम पर हमला किया, फिर सभी अपीलार्थियों ने उस पर लाठियों से हमला किया। वह भी चिल्लाया, तब अन्य लोग मौके पर पहुंचे, अटक राम रो रहा था, वे उसे पुलिस स्टेशन ले गए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. शोभनाथ (अ.सा.-4) ने भी ने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना के समय वह अपने खेत में सिंचाई कर रहा था, उसने आवाज़ भी सुनी, फिर उसने देखा कि सभी अपीलार्थी नहर के पास अटक राम का

पीछा कर रहे थे, उन्होंने अटक राम पर हमला किया। अंततः वे अटक राम को पुलिस स्टेशन और अस्पताल ले गए। हिरमन बाई (अ.सा.-6) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के समय वह अपने मवेशियों को घास चरा रही थी, मृतक अटक राम अपनी भैंसों को नहला रहा था, उसी समय सभी अपीलार्थी मौके पर आए, उनके हाथों में लाठियाँ थीं, उन्होंने अटक राम पर हमला किया। अटक राम पर हमला करने के बाद अपीलार्थी भैयाथान की ओर चले गए। अन्य व्यक्ति अटक राम को भैयाथान ले गए। महेंद्र प्रसाद (अ.सा.-7) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना की तिथि को सुबह लगभग 8 बजे उसने आवाज सुनी, तो वह अपने घर से नहर की ओर गया, उस समय सभी अपीलार्थी अटक राम का पीछा कर रहे थे। सबसे पहले, मृतक अपीलार्थी रामफल ने अटक राम की गर्दन पर हमला किया, फिर सभी अपीलार्थियों ने उस पर हमला किया। ठाकुर प्रसाद (अ.सा.-8) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने हिरमनबाई और मनियारोबाई की आवाज सुनी, फिर वह घटनास्थल पर गया जहां अपीलार्थी अटक राम का पीछा कर रहे थे, सबसे पहले रामफल ने अटक राम की गर्दन पर हमला किया, फिर सभी अपीलार्थियों ने उस पर हमला किया, वह गिर गया। अम्मेलाल (अ.सा.-9), पिता रामदीन राजवाड़े (अ.सा.-9) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना की तारीख को सुबह लगभग 8 बजे उसने ठाकुर प्रसाद और अन्य लोगों की आवाज सुनी, फिर उसने घटना देखी कि सभी अपीलार्थी अटक राम पर हमला कर रहे थे, वह भी घटनास्थल पर गया। अटक राम जमीन में पड़ा था, वे उसे अस्पताल ले गए और अंत में अटक राम की मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. रामसाय (अभि.सा.-1) ने यह सुझाव दिया है कि घटना से एक दिन पहले दोनों पक्षों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था। अपनी प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में, उसने अपने साक्ष्य में कहा है कि रिपोर्ट दर्ज कराते समय उसने पुलिस को चोटों के बारे में सूचित कर दिया था। बचाव पक्ष ने इस गवाह का प्रतिपरीक्षण किया है, लेकिन उससे यह नहीं पूछा है कि अपीलार्थियों ने मृतक को कोई चोट नहीं पहुँचाई है या वह घटना के समय मौजूद नहीं था। इस गवाह ने घटना के एक घंटे के भीतर प्र.पी./26 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। करनसाई के पुत्र अम्मेलाल (अ.सा.-2) ने अपनी प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में यह बयान दिया है कि उसे पक्षों के बीच पहले हुए विवाद की जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 में इस तथ्य का खंडन किया है कि गांव में दो प्रतिद्वंदी पक्ष थे और वह ठाकुर प्रसाद ग्रुप के सदस्य हैं। उन्होंने इस तथ्य का भी खंडन किया है कि उसने आरोपियों झूठा फंसाया है। बचाव पक्ष ने शोभनाथ (अ.सा.-4) का विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया है। उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में स्वीकार किया है कि आवाज सुनने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे, कुछ महिलाएं अपने कपड़े धो रही थीं और उन्होंने घटना देखी। बचाव पक्ष ने हिरमन बाई (अ.सा.-6), महेंद्र प्रसाद (अ.सा.-7), ठाकुर प्रसाद (अ.सा.-8) और अम्मेलाल (अ.सा.-9), पिता रामदीन राजवाड़े (अ.सा.-9), का भी विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया, लेकिन उनकी प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे जो उनके बयानों को गलत सिद्ध कर सके कि उन्होंने घटना नहीं देखी है और अपीलार्थियों ने मृतक अटक राम पर हमला नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने मृत्युपूर्व बयान का

साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है, रामसाय (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जब अन्य गवाह घायल अटक राम को घटनास्थल से ला रहे थे, तब उसने अटक राम से पूछा कि क्या हुआ, तब उसने मृत्युपूर्व कथन किया कि आरोपीगण रामफल, नाहरसाय, रामधन, जय सिंह, अमर सिंह और मनबहाल उर्फ रंगल ने लाठी से हमला किया, फिर वे घायल को पुलिस थाना भैयाथान ले गए। अपनी प्रतिपरीक्षण में उन्होंने इस सुझाव से इंकार किया है कि घायल आटक राम ने उन्हें मृत्यु पूर्व बयान नहीं दिया था। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थियों के निशानदेही पर, अपीलार्थियों से लाठी बरामद की गई है, प्र.पी/1 से प्र.पी/12 के अनुसार लाठी पर खून की मौजूदगी दिखाने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा उनकी जाँच नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष ने इन लाठी को संबंधित अपराध से जोड़ने वाला कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे साक्ष्य के अभाव में उन हथियारों की बरामदी जो सामान्यतः ग्रामीणों के घर से पाए जाते हैं वर्तमान मामले में किसी काम की नहीं है। रामसाय (अ.सा.-1), अम्मेलाल (अ.सा.-2) पिता करनसाय, शोभनाथ (अ.सा.-4), हिरमन बाई (अ.सा.-6), महेंद्र प्रसाद (अ.सा.-7), ठाकुर प्रसाद (अ.सा.-8) और अम्मेलाल (अ.सा.-9), पिता रामदीन राजवाड़े के साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करते हैं और विश्वसनीय हैं और यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने मृतक अटक राम पर हमला किया था और ऐसी चोटों के परिणामस्वरूप मृतक अटक राम की मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. जहां तक हेतुक का सवाल है, अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने कहा कि अम्मेलाल (अ.सा.-2), महेंद्र प्रसाद (अ.सा.-7) और ठाकुर प्रसाद (अ.सा.-8) की गवाही के अनुसार, मृतक आरोपी रामफल द्वारा प्राण प्राण घातक चोटें पहुंचाई गई थीं और वर्तमान अपीलार्थियों ने मृतक को कोई प्राण प्राण घातक चोट नहीं पहुंचाई है। अम्मेलाल (अ.सा.-2) के साक्ष्य से पता चलता है कि सबसे पहले मृतक आरोपी रामफल ने अटक राम पर लाठी से हमला किया और अटक राम गिर गया। महेंद्र प्रसाद (अ.सा.-7) और ठाकुर प्रसाद (अ.सा.-8) ने विशेष रूप से गवाही दी है कि सबसे पहले मृतक आरोपी रामफल ने मृतक की गर्दन पर हमला किया, फिर मृतक गिर गया, लेकिन डॉक्टर को उसके गर्दन पर कोई प्राण प्राण घातक चोट नहीं मिली है। स्कैपुलर क्षेत्र, छाती और पैर पर कई चोटें पाई गईं, जिसमें पैर की फिबुला हड्डी का फ्रैक्चर, पसलियों का फ्रैक्चर और हृदय, फेफड़े और लीवर का फटना शामिल है

19. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **सुखदेव (पूर्वोक्त)** के मामले में अभिनिर्णीत किया था, कि किसी निष्कर्ष के अभाव में कि प्राण प्राण घातक चोटें किसने पहुँचाईं, दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भाग 2 में परिवर्धित किया गया। वर्तमान मामले में, सभी अपीलार्थी, जिनकी संख्या 5 से

अधिक थी, ने मृतक का पीछा किया और जब वह गिर गया, तो सभी अभियुक्तों ने मृतक के महत्वपूर्ण अंगों पर चोटें पहुँचाईं। **सुखदेव (पूर्वोक्त)** का मामला इस तथ्य के आधार पर भिन्न है।

20. जैसा कि **सरमन (पूर्वोक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया है कि, गैर-महत्वपूर्ण अंग पर चोट के आधार पर, दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II/149 के अंतर्गत परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान मामले में, छाती पर प्राण घातक चोटें पाई गईं, जिनमें फेफड़े, यकृत और हृदय का फटना शामिल है। चोटें महत्वपूर्ण अंग पर थीं। **सरमन (पूर्वोक्त)** का मामला तथ्य के आधार पर भिन्न है।

21. जैसा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने **भैयालाल (पूर्वोक्त)** मामले में अभिनिर्णीत किया था कि, दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II में इस आधार पर परिवर्तित किया जाता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि समान आशय के अग्रसरण में किसने प्राण घातक क्षति पहुँचाई है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थियों ने विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उनके समान उद्देश्य के अग्रसरण में उन्होंने प्राण घातक क्षति पहुँचाई, इसलिए, **भैयालाल (पूर्वोक्त)** का मामला तथ्य के आधार पर भिन्न है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22. चोटों की प्रकृति, चोटों की संख्या और शरीर के किसी हिस्से से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थियों ने अटक राम की मृत्यु कारित करने के आशय से ये चोटें पहुँचाई हैं। जब वह नहर के पास अकेला था, तो सभी अपीलार्थियों ने लाठियों से लैस होकर मृतक अटक राम का पीछा किया और उस पर हमला किया, खासकर जब वह गिर गया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, वह असहाय स्थिति में था और जब अन्य लोग उसे बचाने आए, तभी सभी अपीलार्थी मौके से भाग गए। इससे पता चलता है कि अपीलार्थियों ने मृतक अटक राम की हत्या करने के इरादे से अपीलार्थियों ने विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उनके समान उद्देश्य के अग्रसरण में उन्होंने मृतक अटक राम की मृत्यु कारित किया।

23. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करने के पश्चात, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 147 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया। अपीलार्थियों को उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं अवसर से स्पष्ट है कि अपीलार्थियों को बचाव का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष से पता चलता

है कि अपीलार्थियों ने विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उनके समान उद्देश्य के अग्रसरण में मृतक अटक राम की हत्या की, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं धारा 149 के अंतर्गत दंडनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष कानून के तहत विश्वसनीय और पुख्ता साक्ष्य पर आधारित है। अपीलार्थियों को सिद्धदोष करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का उल्लेख नहीं किया है।

24. उपरोक्त कारणों से, हमारा सुविचारित मत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई अवैधानिकता नहीं की है और मूलतः अपील सारहीन है, किन्तु तकनीकी आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अधिरोपित दोषसिद्धि और सजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 में परिवर्तित किया जाता है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अपीलार्थी जमानत पर हैं। वे अपनी शेष सजा भुगतने के लिए तत्काल अपर सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- **सही/-**

श्री टी.पी. शर्मा **श्री आर.एल. झंवर**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

17/02/2010 **17/02/2010**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Uday Shankar Dewangan